L. hadi charnda(P).doc

23/07/2021

विज्ञप्ति

मृत पशु शव निस्तारण सूचना वर्ष 2021–22

पत्रांकः 1320 / मृ0प0श0नि0 / 2021 दिनांकः 20/07/21

मृत पशु शव निस्तारण से सम्बन्धित समितियों के सभापति एवं इस पेशे से सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचितं किया जाता है कि समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों के अनुसार जिला पंचायत अमरोहा द्वारा जनपद अमरोहा के ग्रामीण क्षेत्रों के मृत पशुओं के शव निस्तारण के लाईसेंस वर्ष 2021–22 के विकास खण्ड वार / न्याय पंचायत वार रायल्टी हेतु पत्र संख्या 903 / मृ0प0श0नि0 / 2021 दिनांक 09.02.2021 द्वारा विज्ञप्ति निकाली गयी थी। विकास खण्ड गजरौला एवं धनौरा की निविदा वांछित धनराशि से कम आने के कारण पुनः दिनांक 29.07.2021 की दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा में रखे टेण्डर बॉक्स में आमन्त्रित की जाती हैं जो उसी दिनांक 29.07.2021 को सायं 3:00 बजे निविदा समिति द्वारा तत्समय उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदायें दिनांक 26.07.2021 से 28.07.2021 को सायं 5:00 तक कार्यालय से नियमानुसार भुगतान कर सम्बन्धित पटल सहायक से प्राप्त की जा सकती है। नियमानुसार धरोहर धनराशि एन0एस0सी0 / डाकखाने की पासबुक / एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी जो कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अमरोहा के नाम बंधक होगी। बिना अग्रिम बयाने की धनराशि के कोई टेण्डर मान्य नहीं होगा। निविदा से सम्बन्धित उक्त का पृथक–पृथक पूर्ण विवरण कार्यालय में एवं अमरोहा की वेवसाईट **amroha.nic.in** पर देखी जा सकती है। सम्बन्धित नियम व शर्ते कार्यालय दिवस में देखी व पढी जा सकती है। टेण्डर स्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत में प्रतिनिहित होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमरोहा

कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा

पत्रांकः 1320 / जि0पं0अ0 / 2021 दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत अमरोहा।
2– मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा।
3– सम्पादक **हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण** अमरोहा को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञापन को अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान पर एक बार प्रकाशित कर (5,000 / – पाँच हजार रूपये) के अन्तर्गत बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अमरोहा को इस अनुरोध के साथ कृपया इस विज्ञापन को जनपद अमरोहा की बेवसाइट **amroha.nic.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5– अभियन्ता / वित्तीय परामर्शदाता / कार्य अधिकारी जिला पंचायत अमरोहा।
6– खण्ड विकास अधिकारीगण समस्त क्षेत्र पंचायत अमरोहा।
7– जिला पंचायत अमरोहा के समस्त राजस्व निरीक्षकों को सूचनार्थ।
8– नाजिर जिला पंचायत अमरोहा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत अमरोहा